12/05/23 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। प्रा. पत्र O41 RS CPC पर जवाब को पेश कर सीधे बहस हेतु आग्रह किया गया जिसे स्वीकार कर उक्त प्रा. पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली, पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज व न्याय के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। इस संदर्भ में न्यायालय का यह मत है कि प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय सुनवाई का पूर्ण समय व अवसर प्रदान करते हुए, पक्षकारान के समक्ष,

Signature Not Verified
Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2023.09.26 12:55:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

/ 20

संख्या / वर्ष :

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	गुणावगुण पर किया गया है। न्यायालय द्वारा प्रा॰ पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर निर्णय पारित किया गया है। O41 R5 (2) अनुसार "जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की थी उसके द्वारा रोका जाना" का प्रावधान है। इसके अधीन प्रार्थी को पर्याप्त हेतुक दर्शित कर न्यायालय को संतुष्ट किया जाना था परंतु प्रार्थी ऐसा कर पाने में असफल रहे हैं। न्यायालय का O41 R5 (2)(3) CPC में वर्णित तीनों स्थितियों पर समाधान नहीं हो पाया है। प्रा॰ पत्र प्रस्तुतकर्ता सक्षम न्यायालय में अपील हेतु स्वतंत्र है। अत: प्रा॰ पत्र O41 R5 CPC साबित ना होने पर न्यायहित में खारिज किया जाता है। यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। तहसीलदार, फुलेरा को सूचनार्थ व अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु तहरीर जारी हो।
	[signature] 12/05/23

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Signature Not Verified

Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2023.09.26 12:55:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner